Since the Finance Minister is in the House, I will respectfully urge upon him to kindly respond to it.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Madam, I associate myself with the sentiments expressed by my colleague.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal;: Madam, in association with this, i have got to say something. It Is not a question of one bank. I have before me the names of other banks. The Indian Bank hag also done it. The IOB and several other banks are involved in these practices. It is surprising that in the months of June-July, 1989, these banks went on granting loans to various parties.. It is significant that in most of the banks it has happened like that in October-November just on the eve of the elections. Naturally, isolating! any individual bank will not be the proper approach. May be, most of the banks are doing like that. If a thorough investigation is not undertaken in respect of all these banks I think the confidence of the people in the nationalised banks will gradually get eroded. That is why I say that before that is shaken, it is necessary for the Government to intervene and see that these things da come to light and corrupt officials associated with them are removed and the corrupt practices done away with.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, why don't you ask the Finance Minister to kindly respond?

THE DEPUTY CHAIRMAN; He is listening. It is up to him to respond and when to respond.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Shall I take his silence as conspicuous.

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): Madam, I do not want to make any allegations against any individuals.... Madam, can I catch your eyes?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): You have to catch her ears, not eyes.

PROF. MADHU DANDAVATE: Ears and eyes are equally important.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am all ears and eyes.

PROF. MADHU DANDAVATE: Madam, if you do not object, why he is objecting?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know. His name is becoming... I do not want to say anything

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Don't say anything which you may have to take off the record.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will not do that. Whatever I say will be a part of there record.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He should not catch your eyes. It is dangerous at this age.

PROF. MADHU DANDAVATE: Madam:, honourable Members have made certain observations. I do not want to make any allegations against any individual connected wilh the Bank, but I can assure the honourable Members that I will look into the complaint that they have voiced on the floor of the House and I will do the needful.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

Need to take measures for protection of Wakf Properties

श्री मोर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : मोहतरमा डिप्टी चेयरमैन साहिबा, मैं: आपका ममनून-व मश्कूर हूं कि आपने मुझे यह सपेशल मेंशन के मातहत इस मसले को यहां पर पेश करने की इजाजत दी । मोहतरमा, जहां तक अवकाफ़ प्रोपर्टीज कानून का ताल्लुक है वहां तक मेरी जानकारी है कि सैयद अहमद साहब की सदारत में 1970 में वक्फ इंक्वायरी कमेटी बनी थी। 1976 में उसने अपनी

[श्री मिर्जा इर्शादबेग]

रिपोर्ट दी। बादअज सेन्ट्रल वक्फ कौंसिल माइनोरिटी कमीशन और दीगर अपराध ने इस पर निगाह-ए--सानी की। हुजरेवाला जेरे हुकूमत हिन्द हजाराह अवकाफ़ मिल्कियतों के वक्फ एक्ट, 1954 के मातहत देखा जा रहा था मगर बदलती हुई समाजी, सियासी फिजाओं ने इसमें तरमीम और तबदीली की गुंजाइश का इमकान देखा। इस कानून को मये तरमीमात वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, 1984 की सूरत में जम्हूरियतें हिन्द के बुलंद तरीन कानून साज एवाने आला में 10 मई, 1984 को पेश आवर हुआ। और बिला तरमीम 23 जुलाई, 1984 को इसे पास कर दिया गया। हजूरेवाला, 27 अगस्त, 1984 को ऐवाने जेरी ने मय तीन तरमीमात इसे पास किया। दुबारा 29 अगस्त, 1984 को इस ऐवान में दरोपेश किया गया और पस्त इसे सदरे जमहूरिया-ए-हिन्द को भिजवा दिया गया और आलिजा सदरे मोहतरमा ने 10 अक्तूबर, 1984 को इस कानून पर अपनी मंजूरी का एलान किया।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Is he speaking in Hindi?.. (*Interruptions*).

उपसभापति : आप आलिजा किस को कह रहे हैं?

श्री मीर्जा इशर्दबेग : सदरे मोहतरमा आपको (**व्यवधान**)

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : आप उर्दू भी बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं। दो भाषाओं के विद्वान हो गये हैं आप।

उपसभापति : इस बात का अहसास हो गया है कि आलिजा . . . (**व्यवधान**)

श्री मीर्जा इर्शादबेग : हुजूरेवाला, विकल साहब कह रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू भी हिन्दी ही है क्योंकि हिन्दी का मतलब हिन्दुस्तानी। उर्दू चहन्दुस्तान की भाषा है। मैं दोनों में कह रिहा हूं। मैं पहले हिन्दी में बोलता था अंग्रेजी में भी बोला हूं और अब उर्दू में बोल रहा हूं। यह हिन्दुस्तानी लैंग्वेज है इसलिए आज यह भी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ अलफाज उर्दू में दोहरा दूं।

अकवाये मुसलमानाने हिंद और दीगर कई अफराद-व-इदारों ने तीन तरमीमों पर अपना इजहारे एतराज और एलाने ला-मंजूरी किया जिस पर साबिक वजीरेआजम मोहतरम राजीव गांधी ने एक कमेटी आन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, 1984 मुनक्कद की। जहां तक मेरी जानकारी है आप भी उस कमेटी की मैम्बर थीं और उसका एक मैम्बर मैं भी था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। अब इस पर सरकार को चाहिए कि किबला ताखीर से कानूनी शक्ल में मय तरमीमात पेश करे और इस पर मुहर मंजूरी लगाये।

हुजूरेवाला, कोई भी कानून हर वक्त हर पर्द को मुतमईन नहीं कर सकता। हर एक ख्यालात और समझदारी की नोयत और मुआवजे का रुझान वक्त के बदलते हुए पहलू में मुक्तलिफ मुक्तलिफ हो सकते हैं। निजामे जम्हूर में हुकूमत को चाहिए कि कारेअमल अक्सरियत की मुतमईनी की वाइस हो और नफी का याददा अकलियत हो। हुकूमते हिन्द से मैं दरियाफ्त करूंगा कि मुसलमानों की समाजी, इक्तसादी और इलमी जिन्दगी को और आरास्ता करने की सिसत में अवकाफे हिन्द की सही इंतजामी और दियानतदारी मुसलमानों के वसीहक साबित होगी।

कांग्रेस सरकार ने बर्नी कमेटी की रिपोर्ट पर 123 प्रोपर्टीज वक्फ बोर्ड को वापस दिलायी। मगर मौजूदा हालात में और भी कई अवकाफ की जागीरें गैर-कानूनी तौर पर गलत लोगों के अख्तियार में हैं जिसे सरकार को वापस लेकर मुतवल्लियों के सुपुर्द करना है। जिन जायदादों पर गलत लोगों का कब्जा है उनसे जायदाद वापस लेने पर वेस्टेड इंटरेस्ट ला-अमनी फैलाने का अंदेशा है। मगर सिर्फ इन्हीं तवक्कियात की बुनियाद

पर एक अजम कदम को रोके रखना जमहूरी शान के खिलाफ होगा। इसलिए सरकार यह जरूर देखें कि कानून का प्रोविजन वक्फ बोर्ड के नाहक न जाए। क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद भी उस पर कब्जा लेना दुश्वार हो जाता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे और शमशान और कब्रिस्तान वगैरह को लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के मातहत रिहाई दिलवाना जरूरी और लाजमी है। मैं यह बात इस इलमियत के बावजूद रेन्ट कंट्रोल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट के मातहत है, मैं दर्खास्त करूंगा कि सूबाई सूबों को यह मरकजी हुकूमत यह हिदायत दे या कानून के जरिये रेन्ट कंट्रोल एक्ट से रिहाई दिलवाये। औकाफ बोर्डों में कमिश्नरों के जो अख्तियारात हैं उनके लिए मैं अपनी नापसंदगी का इजहार करता हूं क्योंकि ये ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। मैं सरकार से यह भी दर्खास्त करता हूं कि औकाफ का सर्वे करवाया जाय और कब्रिस्तान जो ताकमायत कब्रिस्तान ही रहने वाले हैं और गो सरकार की मिल्कियत में शुमार हैं उनको मुसलमानों की आबादी के इंतजामों के सुपुर्द कर इसमें सुधार किया जाए। इन तमाम चीजों को इस बिल के मातहत लाया जा सकता है और जल्द से जल्द वक्फ एमेंडमेंट एक्ट, 1984 की कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक बनाकर इसको एवानों के सामने लाने की मैं मांग करता हूं। आखिर में हिन्द सरकार से यह गुजारिश करता हूं कि महकमें वजीरे आजमे के मातहत वजीरे कांउसिल में औकाफ, वक्फ और 15 नुकाती प्रोग्राम के लिए अलग से हकमा बनाया जाय और अलग से अकलीयतों में से किसी अहम आदमी को केबिनट मिनिस्टर बनाया जाय जो इन मामलों को मुखतारी तौर पर देख सके। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

उपसभापति: मैं मुहतरिम मेम्बर से गुजारिश करूंगी कि अगर वे 12 बजे भी इसी जबान का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा यानी उर्दू में शाइस्ता जबान का इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि रिकार्ड से मुझे कछ निकालना नहीं पड़ेगा।

श्री मीर्जा इर्शादबेग: मैं समझता हूं कि अब मेरे हक में कल ही का दिन बाकी है, मैं आपको मुतमईन करता हूं कि इसी जबान का सिलसिला जारी रहेगा।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश): मैं भी इस स्पेशल मेंशन का समर्थन करती हूं।

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्फ की सम्पत्ति को जो खुर्दबुर्द किया जाता है और उस पर जो नाजायज कब्जा किया जाता है उसके संबंध में श्री मीर्जा इर्शादबेग ने जो स्पेशल मेंशन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो यह मांग की है कि इस कानून को फौरी तौर पर लाया जाय और वक्फ की सम्पत्ति की हिफाजत की जाय, इसका मैं समर्थन करता हूं और इस मांग को दोहराता हूं।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश): मीर्जा इर्शादबेग ने जो स्पेशल मेंशन किया है, मैं भी उसमें अपने आप को एसोसिएट करता हूं और हुकूमत से दर्खास्त करता हूं कि वक्फ की अहम जरूरतों को महसूस करते हुए जहां तक वक्फ बोर्ड के ख्याम और अखराम हैं उसकी तसमीर के लिए यह जरूरी है कि वक्फ एक्ट को मुअजिज और इफेक्टिव बनाया जाय। मैं यह भी दर्खास्त करता हूं कि नाजायज कब्जों को बर्खासत करने के लिए वक्फ बोर्ड को एक्जीक्यूटिव पावर्स दी जायें। जब तक वक्फ बोर्ड के पास एक्जेक्यूटिव पावर्स नहीं होंगी तब तक वह नाजायज कब्जों को बर्खास्त नहीं कर सकता है। अदालत को बगैर कहे यह जरूरी है कि वक्फ बोर्ड नाजायज कब्जों को बर्खास्त करे। इसके साथ-साथ मैं यह भी दर्खास्त करूंगा कि औकाफ की जो जायदादें हैं उनको म्युनिसिपल टेक्स से अलग रखा जाय। तीसरी तजवीज मेरी यह है ... (**व्यवधान**)।

उपसभापति : जब वक्फ का बिल आएगा तो आप तब बोल लीजिए।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हुकूमते हिन्द और रियासती हुकूमतें इसको फाइनेंसियल ग्रान्ट दें ताकि वक्फ बोर्ड अपने मुलाजिमों को अच्छी से अच्छी तनख्वाह दे सकें और औकाफ की जायदादों को प्रोटेक्ट कर सके।

Power Crisis in Rajasthan

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Santosh Bagrodia, now you please speak.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): I am really grateful to you, Madam. But. I still fail to understand whether I should learn how to speak in a big noise going on.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Yes, you can learn because if the Chair can speak and control big noise, you can know it.

. SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am going to the Annexe and learn from the doctor so that I have a better throat.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): You can learn it from your neighbours. You don't have to go to the doctor.

SHRI V. NARAYANASAMY (Poridicherry): Mr. Kamal Morarka is equally competent.

SHRI KAMAL MORARKA:: Yes, yes, equally competent.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, when this new minority Government in Rajasthan came to power in Rajasthan.

राजस्थान में पूरा अंधेरा होगा।

There is no power in Rajasthan any more. The industries are suffering, agriculture is suffering, the ordinary consumers at home are suffering. The Governor, Shri D. P. Chattopadhyay, in his first Address mentioned that the Government would like to encourage industrial development and also make available more and more power for use in agriculture. In fact, the demand and supply gap is expected to widen from 29 per cent m the first year of the Eighth Plan to about 35. 42 per cent at the end of the Eighth Plan. Meanwhile, it is clear that the State would continue to depend on shares from Central mega-power projects and purchases from other States. Presently these sources account for about 50 per cent of the State power availability. Therefore, the Rajasthan Government has desired that they should get power from Thein Dam Project, Anandpur Sahib Project, Mukherjee Hydel Project. UBDC Stage"II, Shahpur Kandi Hydel Project. On this demand it was agreed as far back as 10. 5. 1984, that this will be referred to the Supreme Court, but this has not been referred so far. It is, therefore, requested that the Government of India may make a reference to the Supreme Court to determine the share of Rajasthan in these projects. I want to warn that durin the Eighth Plan there is not a single project coming up in Rajasthan. All the projects which have been desired, have been rejected by the Central Government. So, I will request at least one of the projects must be sanctioned. The Solar thermal power plant, at Jodhpur may be sanctioned.

SHRI B. L, PANWAH (Rajasthan): I also associate with it

Need, for subsidised fligths and Refuelling facilities in Special Category States

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): I am talking of the need for giving this incentive. What was the objective behind introducing the subsidised nights to the special category States when they were brought on the air map *of* the country? This was also to encourage tourists to visit